भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4637
20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य पर अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय

†4637. डॉ. काकोली घोष दस्तीदारः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत की तुलना में स्वास्थ्य पर अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय (ओओपीई) का अद्यतन प्रतिशत कितना है;
(ख) क्या भारत में स्वास्थ्य पर अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय का हिस्सा विश्व में सर्वाधिक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर अपनी जेब से किए जाने वाले व्यय को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के प्रतिशत के रूप में अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय (ओओपीई) वर्ष 2014-15 में 62.6% से लगातार घटते हुए वर्ष 2021-22 में 39.4% हो गया है।

(ख): एनएचए के अनुमानों के अनुसार, क्रय शक्ति समता (अंतर्राष्ट्रीय डॉलर) के आधार पर प्रति व्यक्ति ओओपीई के मामले में भारत 189 देशों की सूची में 69वें स्थान पर है।

(ग): सरकार कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के प्रतिशत के रूप में ओओपीई को कम करने के प्रयास कर रही है। कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 29.0% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 48.0% हो गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं और उन्हें कार्यान्वित किया है। इन प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय को कम करने में योगदान दिया है। इनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम): एनएचएम के तहत, सरकार ने व्यक्तियों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में राज्य सरकारों की सहायता करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। एनएचएम स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के संचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सुधार हेतु सहायता प्रदान करता है। अनिवार्य दवाओं और नैदानिक सुविधाकेंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले रोगियों के जेबी खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और निःशुल्क निदान सेवा शुरू की गई है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम): एएएम पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को परिवर्तित करके कुल 1.85 लाख एएएम स्थापित और संचालित किए गए हैं। एएएम का उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, प्रशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं, सहित प्रजनन और बाल परिचर्या सेवाएं, संक्रामक रोग, गैर-संक्रामक रोग और सभी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, जो सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के करीब हैं, की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक (सीएस) शामिल हैं और इसका परिव्यय 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 64,180 करोड़ रुपये है। पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत किए गए उपायों का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्तरों पर स्वास्थ्य परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं का विकास करना है, ताकि स्वास्थ्य प्रणालियां वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार रहें।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का उद्देश्य भारत की आर्थिक रूप से कमजोर 40% आबादी वाले 12 करोड़ से अधिक परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्व-लागत पर लाभार्थियों का दायरा और बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत वय वंदना कार्डधारक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, जो 45 करोड़ परिवारों से संबंधित हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, को शामिल किया गया है।

साथ ही, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेई) के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफायती मूल्यों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय इम्प्लांट (अमृत) फार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं।
